प्रेस विज्ञप्ति

7.49 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2017 (परि) की अदायगी-प्रेस विज्ञप्ति जारी करना।

7.49 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2017 (परि) की बकाया शेष राशि की 13 अप्रैल, 2017 को सममूल्य पर अदायगी देय है। 14, 15 और 16 अप्रैल, 2017 को क्रमश: बैंक अवकाश शिनवार और रविवार है। 16 अप्रैल, 2017 से उस पर कोई ब्याज उपचित नहीं होगा। 13 अप्रैल, 2017 को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने पर, उस राज्य में अदाकर्ता कार्यालयों द्वारा ऋण की अदायगी पूर्व कार्य दिवस को की जाएगी।

2. सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपविनियम 24 (2) और 24 (3) के अनुसार सहायक सामान्य खाताबही अथवा संघटक सहायक सामान्य खाताबही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उसके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा । प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते के संबंधित विवरण काफी पहले ही भेज देंगे ।

तथापि, बैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में, देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए, धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक और इसकी सहायक बैंकों की शाखाओं (जहां वे ब्याज भुगतान के लिए मुखांकित/पंजीकृत हैं) में विधिवत विमुक्त प्रतिभूतियों को, भुगतान हेतु देय तिथि से 20 दिन पूर्व प्रस्तुत कर दें।

3. उन्मोचन मूल्य प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बजट प्रभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 दिनांक 22 मार्च, 2017